

भाग III

संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है

14	स्थल जहाँ की वनभूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।		हाँ, दिनांक 04.12.2021 को किये गये स्थल निरीक्षण का प्रतिवेदन संलग्न है।।
15	क्या वन संरक्षक, उप वन संरक्षक के अभिमत से सहमत है। यदि नहीं तो उसका कारण दें।		सहमत।
16	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में विस्तृत कारणों के साथ अभिमत।		वन मण्डलाधिकारी, वन मण्डल श्योपुर द्वारा प्रस्ताव के भाग-2 में की गई अनुशंसा के आधार पर गोरस-श्यामपुर (एन.एच.552) चौडीकरण में प्रभावित वन भूमि रकवा 52.164 हेक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की जाती है।

तिथि :- 21.12.2021

स्थान :- ग्वालियर

हस्ताक्षर

(शशि मलिक)

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक,
ग्वालियर वृत्त ग्वालियर म0प्र0